प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0 प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांक- 22 अगस्त, 2019**

विषयः- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के अतिरिक्त आवासों के लक्ष्यों के सापेक्ष प्राप्त केन्द्रांश की द्वितीय किश्त की धनराशि एवं समतुल्य मैचिंग राज्यांश की धनराशि (के0-60:रा0-40) की वित्तीय स्वीकृति (अनुदान संख्या-13)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-604/सम्प्रेक्षा/प्र0मं0आ0यो0-ग्रा0/2019-20, दिनांक-07.08.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के अतिरिक्त लक्ष्यों हेतु सामान्य मद (अनुदान संख्या-13) में भारत सरकार द्वारा निर्गत केन्द्रांश की द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 12048.651 लाख एवं उसके सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की धनराशि रू0 8032.434 लाख सहित कुल धनराशि रू0 20081.085 लाख अवमुक्त किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- अतएव आपके उपर्युक्त प्रस्ताव दिनांक-07.08.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के अतिरिक्त लक्ष्यों हेतु निर्गत केन्द्रांश की द्वितीय किश्त की **धनराशि रू0 12048.651 लाख एवं उसके सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की धनराशि रू0 8032.434 लाख सहित कुल धनराशि रू0 20081.085 लाख (रू0 दो अरब इक्यासी लाख आठ हजार पांच सौ मात्र)** चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 में प्राविधानित धनराशि से आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन प्रदान करते हैः-

(1) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0 प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार / केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए स्वीकृत की गयी धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 का होगा।

(3) आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 का होगा। स्वीकृति की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्य योजना एवं मदों में, योजना हेतु निर्धारित गाईडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही किया जायेगा।

(5) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 द्वारा संबंधित जनपदों की मांग/आवश्यकता का परीक्षण करते हुए धनराशि आवंटित की जायेगी।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग अनुमन्य धनराशि की सीमा तक ही किया जायेगा। पूर्व में कराये गये निर्माण कार्यो की गुणवत्ता से पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर ही वास्तविक आवश्यकता के अनुसार धनराशि का आहरण किया जायेगा।

(7) योजनान्तर्गत प्रश्नगत धनराशि के उपयोग में द्विरावृत्ति न हो तथा आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 का होगा। ।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.03.2019 द्वारा निर्धारित शर्तो एवं उपबन्धों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा।

(9) प्रश्नगत धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय तथा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 का होगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 व अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्षक-"4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-03-ग्रामीण आवास-800-अन्य व्यय-04-प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)(के.60/रा.40-के.+रा.)-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई-**2**-606/X-2019, दिनाक-22.08.2019 में प्राप्त सहमति के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
अशोक कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-20/2019/446(1)/38-4-2019, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद(प्रयागराज)।
(2) महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद(प्रयागराज)।
(3) निदेशक, (आरएच), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
(4) अपर आयुक्त(लेखा), ग्राम्य विकास,उत्तर प्रदेश।
(5) निदेशक,कोषागार,उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(8) सम्बन्धित जनपद के मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तर प्रदेश।
(9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त संसाधन (के0 स0) अनुभाग।
(10) राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
(11) विशेष कार्याधिकारी बजट प्रकोष्ठ, ग्राम्य विकास विभाग/ग्राम्य विकास अनुभाग-3
(12) गार्डबुक।

आज्ञा से,
दिनेश चन्द्र पाण्डेय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in